



UPAU120002092024

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), बिधूना, औरैया।

उपस्थित : प्रवीण सिंह (उ0प्र0 न्यायिक सेवा) J.O. Code : UP3441

सिविल वाद संख्या-58/2024

रामसिंह

बनाम

अनीता देवी

दिनांक-27.11.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 6ग एवं प्रतिवादिनी की आपत्ति का0सं0 21ग मय शपथ पत्र पर पूर्व में सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या-6ग

संक्षेप में वादी का प्रार्थना पत्र का0सं0 6ग मय शपथ पत्र का0सं0 7ग के कथानक के अनुसार वादी वाद पत्र के पैरा नम्बर 1 में उल्लिखित भूमि का मालिक काबिज व दखील पैतृक रूप से चला आता है तथा विवादित सम्पत्ति पर वादी का कब्जा दखल व निस्तार चला आता है, जिस पर वह कृषि कार्य कर, उसमें फसलें पैदा कर उससे लाभान्वित होता चला आता है। प्रतिवादिनी को उसकी उक्त विवादित भूमि से कोई मतलब व सरोकार नहीं है तथा प्रतिवादिनी जबरदस्ती नाजायज कब्जा करना चाहती है, जिसका उन्हें हक व अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादिनी तादौरान वाद अपने अवैध कृत्यों में सफल हो गयी, तो वादी की सख्त हकतल्फी व भारी नुकसान होगा, जिसकी भरपाई भविष्य में कभी नहीं की जा सकेगी। वादी का प्रथम दृष्टया केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का सन्तुलन भी उसके पक्ष में है। अतः वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न शपथ पत्र में वर्णित आधारों पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादित भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादिनी की ओर से प्रार्थनापत्र 6ग पर अपनी आपत्ति कागज संख्या-21ग मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादी ने उक्त वाद कतई असत्य तथ्यों के आधार पर मनगढंत कहानी बनाकर प्रतिवादिनी को महज हैरान व परेशान करने की नियत से दायर किया है। वादी का प्रथम दृष्टया वाद न तो बखूबी साबित है और न ही सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न होने से वादी को कोई नुकसान नहीं, बल्कि जारी हो जाने से प्रतिवादिनी की सख्त हकतल्फी होगी। प्रतिवादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि वादी विवादित भूमि संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, परगना व तहसील बिधूना, जिला औरैया के सम्पूर्ण रकवे का मालिक नहीं है, क्योंकि वादी द्वारा विवादित भूमि में से स्वयं प्रतिवादिनी को जरिये रजिस्टर्ड शर्तिया बैनामा दिनांकित 25.04.2017 को रकवा 0.243 हेक्टेयर का निष्पादित किया गया था, जिस शर्तिया बैनामा में दो वर्ष का म्याद का समय अंकित किया गया था। वादी ने जानबूझकर अपने वाद पत्र में बैनामा दिनांकित 25.04.2017 के बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किये और न्यायालय को गुमराह करके फर्जी तरीके से स्थगन आदेश जारी करा लिया, जो समाप्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि में से 0.243 हेक्टेयर पर प्रतिवादिनी

काबिज दखील चली आ रही है। अतः प्रार्थना पत्र वादी असत्य तथ्यों पर आधारित दूषित मनोवृत्ति से दिया गया है, जो सब्य खारिज होने योग्य है।

वादी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची कागज सं0-11ग से एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी बाबत विवादित भूमि गाटा संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, बिधूना, औरैया का0सं0 12ग, एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खसरा बाबत विवादित भूमि संख्या 355 रकवा 0.397 हेक्टेयर का0सं0 13ग तथा सूची कागज सं0-25ग से एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी बाबत विवादित भूमि गाटा संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, बिधूना, औरैया का0सं0 26ग/1 लगायत 26ग/2 दाखिल किये गये।

प्रतिवादिनी द्वारा अपने अभिकथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य में सूची दिनांकित 02.05.2024 से एक किता छायाप्रति बैनामा दिनांकित 25.04.2017 एवं सूची दिनांकित 29.08.2024 के माध्यम से एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी भूमि संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर दाखिल किये गये।

सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अस्थाई व्यादेश का अनुतोष पाने हेतु वादी को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित विधि व्यवस्था **Gujrat Bottling Co. Ltd.V. Coca Cola Company 1995(5) SCC 545** में दिये गये प्रतिस्थापित सिद्धांतों के प्रकाश में निम्नलिखित तथ्यों को साबित करने का भार है।

- 1- प्रथम दृष्टया वाद का होना।
- 2- सुविधा का सन्तुलन होना।
- 3- वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **आनंद प्रसाद अग्रवाल बनाम तारकेश्वर प्रसाद (2002) 93 आर0डी0 675** में अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा मिनी ट्रायल करना उचित नहीं है।

प्रथम दृष्टया वाद का होना :-

जहां तक प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न है, तो उसके सम्बन्ध में वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कथन किया गया है कि वह एक किता भूमि गाटा संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, परगना बिधना, जिला औरैया का संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज चला आ रहा है। विवादित भूमि वादी की पैत्रिक सम्पत्ति है। प्रतिवादिनी विवादित भूमि पर जबरिया कब्जा कर वादी को बेदखल करने का प्रयास कर रही है। वादी द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सूची का0सं0 11ग के जरिये एककिता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी बाबत विवादित भूमि गाटा संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, बिधूना, औरैया का0सं0 12ग व इन्तखाब खसरा 13ग दाखिल किये गये हैं। उपरोक्त प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी का नाम खतौनी व खसरा में दर्ज है। वहीं प्रतिवादिनी द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में सूची दिनांकित 02.05.2024 से एक किता छायाप्रति शर्तियां बैनामा दिनांकित 25.04.2017 दाखिल किया गया है। उपरोक्त बैनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादिनी के हक में जरिये रजिस्टर्ड शर्तिया बैनामा दिनांकित 25.04.2017 को रकवा 0.243 हेक्टेयर का निष्पादित किया गया था, जिस शर्तिया बैनामा में दो वर्ष का म्याद का समय अंकित

किया गया। सूची दिनांकित 29.08.2024 के माध्यम से प्रतिवादिनी द्वारा एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी भूमि संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर दाखिल की गयी है। उक्त खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि संख्या 355 पर वादी व प्रतिवादिनी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है।

यह भी अवलोकनीय है कि वादी द्वारा सूची कागज सं0-25ग से एक किता सत्यप्रतिलिपि इन्तखाब खतौनी बाबत विवादित भूमि गाटा संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, बिधूना, औरैया का0सं0 26ग/1 लगायत 26ग/2 दाखिल की गयी है। उपरोक्त खतौनी के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय तहसीलदार बिधूना, जनपद औरैया के वाद संख्या टी202103050206073 दिनांकित 30.07.2024 के अनुसार पूर्व में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 निरस्त किया गया। यह बात भी अवलोकनीय है कि विवादित भूमि में से रकवा 0.243 हेक्टेयर पर प्रतिवादिनी अपना कब्जा दखल बता रही है, तो तथ्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा केवल साक्ष्य आने के उपरान्त ही दिया जा सकता है।

जहाँ तक विवादित भूमि का प्रश्न है, तो उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये यदि इस स्तर पर विवादित भूमि का संरक्षण नहीं किया जाता है व भूमि की नव्यता में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है, तो ना केवल पक्षकारों को अपार हानि होने की सम्भावना है, बल्कि वाद का गुण-दोष पर निस्तारण होने में भी कठिनाई होगी। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय यह आवश्यक समझता है कि विवादित भूमि जिसका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, के सम्बन्ध में उभयपक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे और अधिक मुकदमेबाजी को रोका जा सके। उभयपक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादग्रस्त भूमि संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, परगना व तहसील बिधूना, जिला औरैया पर कोई भी नया निर्माण न करें, न विक्रय करें और न विवादित सम्पत्ति की प्रकृति में किसी प्रकार का कोई बदलाव करें। मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे।

सुविधा का संतुलन होना :-

चूँकि वादी अपना वाद अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया आंशिक रूप से साबित करने में सफल रहा है। प्रस्तुत वाद में विवादित भूमि को संरक्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है, जिस कारण सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है, क्योंकि विवादित भूमि के बावत कोई भी बदलाव किया जाता है, तो वादी का वाद लाने की मंशा ही समाप्त हो सकती है। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है।

वादी को अपूर्णनीय क्षति का होना :-

विवादित भूमि में पक्षकारों के अध्यासन/कब्जा के विनिश्चय से पूर्व यदि उभयपक्ष द्वारा कोई भी बदलाव विवादग्रस्त भूमि पर कर दिया जाता है, तो प्रस्तुत वाद की विषय वस्तु के समाप्त होने की सम्भावना है, जिस कारण कहीं न कहीं वादी को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है। प्रस्तुत सिविल वाद का उद्देश्य निष्फल न हो। इस कारण न्यायालय को विवादित सम्पत्ति को संरक्षित करने हेतु विवादित भूमि के बावत यथास्थिति का आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है।

उभयपक्षकारों के मध्य मालिकाना हक व कब्जे को लेकर विवाद होना प्रथम दृष्टय प्रतीत होता है तथा न्यायालय के मत में वाद की विषय वस्तु को संरक्षित करना अनिवार्य है। अतः

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत वादी एवं प्रतिवादीगण को यथास्थित बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निर्णयज् विधि व्यवस्था **दलपतकुमार बनाम प्रहलाद सिंह ए0आई0आर0 1993 एस0सी0 276** का उल्लेख करना आवश्यक है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है कि "If on weighting competing possibilities or probabilities of likelihood of injury, the Court considers that pending the suit, the subject matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued." उक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि न्यायालय क्षति की सम्भावना को देखते हुए, वाद के अन्तिम निस्तारण तक, वाद के विषय वस्तु को संरक्षित करने हेतु यथास्थिति का आदेश पारित कर सकती है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में स्पष्ट है कि अन्तरिम निषेधाज्ञा हेतु वादी द्वारा आंशिक रूप से प्रथम दृष्टया वाद, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित किया है। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिशीलन से विदित है कि विवादित भूमि के संरक्षण हेतु वादी का प्रार्थना पत्र कागज सं0-6ग स्वीकृत किये जाने योग्य है। विवादित भूमि के संरक्षण हेतु यथास्थिति बनाये रखना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का प्रार्थना पत्र कागज सं0-6ग स्वीकार किया जाता है। तदनुसार प्रतिवादिनी की आपत्ति का0सं0 21ग मय शपथ पत्र निस्तारित की जाती है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह विवादित भूमि संख्या 355 रकवा 0.3970 हेक्टेयर स्थित ग्राम करचला, परगना व तहसील बिधूना, जिला औरैया पर दौरान वाद मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली वास्ते तनकीह हेतु दिनांक 14.01.2025 को पेश हो।

दिनांक 27.11.2024

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0),
बिधूना, औरैया
J.O. Code : UP3441